REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052022-235758 CG-DL-E-13052022-235758

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2105]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 13, 2022/वैशाख 23, 1944
No. 2105]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 13, 2022/VAISAKHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 2214(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट माना जाएगा ।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
623	344जीएम	गोगवान जलालपुर के पास रारा 344जी के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर उत्तर प्रदेश राज्य में गंगोह हरियाणा राज्य में रादौर, बरारा, साहा को जोड़ने वाला तथा सादोपुर के पास रारा 152 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/14/2021-पी ऐंड एम –पार्ट(1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र, दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और इसके बाद संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2017(अ), दिनांकित 29 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
623	344GM	The highway starting from its junction with NH 344G near Gogwan Jalalpur connecting Gangoh in the State of Uttar Pradesh Radaur, Barara, Saha and terminating at its Junction with NH 152 near Sadopur in the State of Haryana.

[F. No. NH-14012/14/2021-P&M-Part(1)]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2017(E), dated 29th April, 2022.